



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष / Phone : +91-7152-230902
फैक्स / Fax : +91-7152-247602

पत्रांक : 21/PRO/2020-21/32

दिनांक : 23.03.2021

24

सूचना

विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों, कर्मियों और विद्यार्थियों/शोधार्थियों को सूचित किया जाता है कि जिला अस्पताल, वर्धा द्वारा कोविड-19 की एन्टीजन टेस्ट हेतु बुधवार दिनांक 24.03.2021 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से विश्वविद्यालय के अस्पताल में कैम्प लगाया जा रहा है।

जिन अध्यापक, अधिकारी एवं कर्मियों ने पूर्व में एन्टीजन टेस्ट नहीं कराया है उन सभी से निवेदन है कि निर्धारित स्थान पर समय से उपस्थित रहने का कष्ट करें।

जिन्होंने आरटीपीसीआर जाँच करा ली है वे विश्वविद्यालय को अवगत कराएं।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
24/03/21

प्रति (ईमेल द्वारा) : अध्यापक, अधिकारी, कर्मि

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. विश्वविद्यालय वेबसाइट
4. संबंधित पत्रावली